बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

तार्किक आदेश

संoसंo–12 / स्थाo–01–51 / 2025

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संo–01 / 2019 के तहत प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार, पिता–स्वo रामनारायण प्रसाद, ग्राम+पोo+थाना–कौआकोल, जिला–नवादा की नियुक्ति विभागीय आदेश संo–1483 दिनांक 04.04.2025 द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई। तत्पश्चात् विभागीय आदेश संo–1907 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा उनका पदस्थापन सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा में किया गया। उक्त विभागीय आदेश की कंडिका–2 में निहित प्रावधान के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा के पत्रांक–562 दिनांक 13.06.2025 द्वारा श्री कुमार का डिप्लोमा अंक पत्र / प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणित प्रति राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया।

तदालोक में राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना के पत्रांक–5864 दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा को श्री कुमार के डिप्लोमा अंक पत्र / प्रमाण पत्र के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि :–

1. **तालिका पंजी के अनुसार आवेदक का नाम "Mithilesh Kumar" क्रमांक–32287 है, जबकि डिप्लोमा प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम "Mithlesh Kumar" क्रमांक–32287 अंकित है।**
2. **आवेदक के खण्ड–3 के अंक पत्र के खण्ड–2 का 40% Column में तालिका पंजी के अनुसार कुल अंक–632 है, जबकि सत्यापन हेतु उपलब्ध कराये गये खण्ड–3 के अंक पत्र के खण्ड–2 का 40% Column में कुल अंक–782 अंकित है। तालिका पंजी के अनुसार आवेदक का खण्ड–3 में कुल प्राप्तांक 1636 है, जबकि सत्यापन हेतु उपलब्ध कराये गये अंक पत्र में उपरोक्त छेड–छाड़ के कारण आवेदक का कुल प्राप्तांक 1786 कर दिया गया है, इससे प्रतीत होता है कि श्री कुमार के खण्ड–3 के अंक पत्र में छेड–छाड़ की गई है।**

तत्पश्चात् राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ के पत्रांक–3296 दिनांक 15.11.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा सहित उक्त सत्यापन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी गई।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–6616 दिनांक 03.12.2025 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार से राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन पर स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ के पत्रांक–379 दिनांक 27.01.2026 के द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण का जबाव संलग्न कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी उम्र लगभग 57 वर्ष होनेवाला है, साथ ही उनके दुर्घटना होने के कारण दायीं आँख से दिव्यांग हो गये हैं। श्री कुमार द्वारा पत्र में यह भी उल्लेखित है कि वे अत्यंत पिछड़ा जाति–1 से आते हैं, जबकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 1636 से कम अंक वाले को मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है, तो उनके द्वारा उक्त अंक पत्र में छेड़–छाड़ करके 1786 करने की आवश्यकता नहीं है।

कृoपृoउo

2

विदित हो कि श्री कुमार के नियुक्ति आदेश सं0–1483 दिनांक 04.04.2025 में प्रावधानित है कि :–

कंडिका–3 :– यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

कंडिका–4 :– यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक)) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त विभागीय नियुक्ति आदेश की कंडिका–3 एवं 4 में निहित प्रावधान तथा बिहार राज्य प्रावैद्यिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना द्वारा श्री मिथिलेश कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा के डिप्लोमा अंक पत्र/प्रमाण पत्र में छेड़–छाड़ के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार की नियुक्ति रद्द की जाती है। साथ ही भविष्य में उनके द्वारा उक्त पद पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–51/2025 – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–51/2025 – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, 13, 22, 23 एवं 24/ श्री मिथिलेश कुमार, पिता–स्व0 रामनारायण प्रसाद, ग्राम+पो0+थाना–कौआकोल, जिला–नवादा, बिहार, पिन–805106 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–51/2025 – 1818 पटना, दिनांक – 6/4/26

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/4/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।